

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सूट संख्या- 2/2013-14

बिजय कुदादा।

बनाम

गंजू कुदादा एवं अन्य।

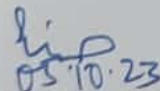
आदेश

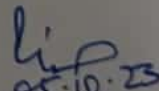
यह कोल्हान दीवानी वाद दिनांक- 15.05.2023 को बिजय कुदादा, पिता- स्व० मधुआ कुदादा, ग्राम- दुम्बीसाई, थाना- मुफ्फसिल (चाईबासा), जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र में वर्णित Declaration of title, cancellation of sale deeds and recovery of possession of suit property के लिए प्रतिवादी गंजू कुदादा, पिता- ज्ञात नहीं, ग्राम- दुम्बीसाई, थाना- मुफ्फसिल (चाईबासा), जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं 6 अन्य के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी या उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। प्रतिवादी की ओर से लगातार उपस्थिति दी गई है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
05.10.23  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

  
05.10.23  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा